तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज महेन्द्र कुमार मेहता बनाम लो.सू.अ. (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 59 / 2019	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.05.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी महेन्द्र कुमार मेहता पता प्रथम ए रोड़, सरदारपुरा मार्फत लाल ओटो मोबाईलस जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 14.03.19 में उसके द्वारा (1) पुलिस कमीश्नर जोधपुर , नगर निगम जोधपुर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, डी.आर. एम. उत्तरी–पश्चिम रेलवे, एम.डी.एम. हॉस्पीटल, मॉल, सिनेमा हॉल इत्यादि में पार्किग में शुल्क वसूली बाबत् नियम, सकुर्लस, अधिसूचना, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्रांक 442 दिनांक 04.04.19 से सूचित किया गया, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.((अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 577 दिनांक 13.05.19 के तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें अवगत कराया कि प्रार्थी महेन्द्र कुमार मेहता को इस कार्यालय के पत्र संख्या 442 दिनांक 04.04.19 द्वारा सूचित किया जा चुका है कि आवेदन पत्र में चाही गई सूचना से संबंधित अभिलेख का संधारण इस कार्यालय में नहीं किया जाता है तथा चाही गई सूचना एक से अधिक विभागों से संबंधित है, जिसका अन्तरण संबंधित कार्यालय को किया जाना संभव नहीं है, चूंकि अन्तरण मात्र एक स्तर पर ही किया जा सकता है। पुलिस विभाग जोधपुर आदि संबंधित कार्यालयों में सूचना का अधिकार के तहत अलग–अलग आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सूचना प्राप्त कर सकते है। चूंकि अपीलार्थी/आवेदक को नियत अवधि में चाही गई सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने बाबत् सूचित किया जा चुका है तथा एक से अधिक विभाग से संबंधित सूचना होने के कारण प्रार्थना पत्र स्थानान्तरित किये जाने का प्रावधान नहीं होना बताया गया अतः अपीलार्थी सूचना प्राप्त करने के लिए अब भी गंभीर है तो संबंधित विभाग से सूचना प्राप्त करें। परिणामस्वरूप अपील निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	